भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेनो/ /2017 दिनांक: 09 मार्च, 2017

प्रेस नोट

विषय: केरल तथा जम्मू-कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में और असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र दिल्ली और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्तियों को भरने हेतु उप निर्वाचनों के लिए अनुसूची-तत्संबंधी।

I. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्यों की राज्य विधान सभाओं में निम्नलिखित स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम
1.	जम्मू-कश्मीर	2- श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
		3- अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
2.	केरल	6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम
1.	असम	113-धेमाजी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
2.	हिमाचल प्रदेश	36-भोरंज (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
3.	मध्य प्रदेश	09-अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
		89-बांधवगढ़(अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
4.	पश्चिम बंगाल	216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
5.	राजस्थान	79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
6.	कर्नाटक	214-ननजनगुड (अ.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
		224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
7.	तमिलनाडु	11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
8.	झारखण्ड	4-लिटिपाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
9.	सिक्किम	28-अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	27-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

II. जलवायु संबंधी परिस्थितियां, प्रमुख त्योहारों, विद्यमान कानून एवं व्यवस्था, निर्वाचक नामावलियां, केन्द्रीय पुलिस बल इत्यादि की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है। **असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, झारखण्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन आयोजित करने हेतु अनुसूची नीचे दी गई है:-**

मतदान कार्यक्रम	अनुसूची
राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख	**14.03.2017 (मंगलवार)**
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**21.03.2017 (मंगलवार)**
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा हेतु अंतिम तारीख	**22.03.2017 (बुधवार)**
अभ्यर्थियाएं वापस लेने की अंतिम तारीख	**24.03.2017 (शुक्रवार)**
मतदान की तारीख	**09.04.2017 (रविवार)**
मतगणना की तारीख	**13.04.2017 (गुरूवार)**
वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	**15.04.2017 (शनिवार)**

III. **केरल** के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और **तमिलनाडु और सिक्किम** के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन आयोजित करने की अनुसूची नीचे दी गई है:

मतदान कार्यक्रम	केरल के लिए अनुसूची	तमिलनाडु और सिक्किम के लिए अनुसूची
राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख	16.03.2017 (गुरूवार)	16.03.2017 (गुरूवार)
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	23.03.2017 (गुरूवार)	23.03.2017 (गुरूवार)
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा हेतु अंतिम तारीख	24.03.2017 (शुक्रवार)	24.03.2017 (शुक्रवार)
अभ्यर्थियाएं वापस लेने की अंतिम तारीख	27.03.2017 (सोमवार)	27.03.2017 (सोमवार)
मतदान की तारीख	**12.04.2017 (बुधवार)**	**12.04.2017 (बुधवार)**
मतगणना की तारीख	17.04.2017 (सोमवार)	15.04.2017 (शनिवार)
वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	18.04.2017 (मंगलवार)	17.04.2017 (सोमवार)

IV. **जम्मू–कश्मीर** के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची नीचे दी गई है:-

मतदान कार्यक्रम	चरण-I (2-श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)	चरण-II (3- अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)
राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख	14.03.2017 (मंगलवार)	17.03.2017 (शुक्रवार)
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	21.03.2017 (मंगलवार)	24.03.2017 (शुक्रवार)
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा हेतु अंतिम तारीख	22.03.2017 (बुधवार)	27.03.2017 (सोमवार)
अभ्यर्थियाएं वापस लेने की अंतिम तारीख	24.03.2017 (शुक्रवार)	29.03.2017 (बुधवार)
मतदान की तारीख	**09.04.2017 (रविवार)**	**12.04.2017 (बुधवार)**
मतगणना की तारीख	15.04.2017 (शनिवार)	
वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	16.04.2017 (रविवार)	

V निर्वाचक नामवली

दिनांक **01.01.2017** के संदर्भ में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु की निर्वाचक नामावली **05.01.2017** को, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कर्नाटक की **10.01.2017** को, राजस्थान और झारखण्ड की **16.01.2017** को, तथा असम और केरल राज्यों की निर्वाचक नामावली को क्रमश: **20.01.2017** एवं **14.01.2017** को अंतिम रूप में प्रकाशित किया जा चुका है।

vi इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम)

आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जा सकें, सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं।

Vii मतदाताओं की पहचान

पूर्व पद्धति के अनुसार आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामवली में नाम मौजूद होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो जाए, उक्त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

Viii आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता उस जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें उप-निर्वाचन के लिए नियत विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का पूर्ण या कोई भी आंशिक हिस्सा आता है बशर्ते कि आयोग के अनुदेश सं. 437/अनुदेश/2012/सीसीएंडबीई दिनांक 26 अप्रैल, 2012 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा यथा-निर्गत आंशिक संशोधन की शर्तें पूरी होती हों। आदर्श-आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श संहिता संबंधित राज्य के उपर्युक्त जिले के संदर्भ में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

ह./-

(सुमित मुखर्जी)
सचिव